उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-3/2021/आडिट-1-30/दस-2021-320(4)/2018
लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में उल्लिखित रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष आदेश प्रदान किया जाता है:-

क्र0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री राकेश कुमार सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी।	अलीगढ़ मण्डल	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल।
2.	सुश्री कान्ती सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी।	कानपुर मण्डल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कानपुर देहात।
3.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी।	अयोध्या मण्डल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।
4.	श्री आनन्द प्रकाश पाठक, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	भदोही	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सोनभद्र।
5.	श्री उमा शंकर, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	कन्नौज	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, औरैया।
6.	श्री सुशील कुमार सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	बाराबंकी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, अमेठी।

2- उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारियों को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-3/2021/आडिट-1-30(1)/दस-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।